रिपोर्टेबल

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक रिट याचिका संख्या 365/2023

श्याम बच्चानी पुत्र शंकरलाल बच्चानी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी विला नंबर 80, रॉयल सेलेब्रिटी जयसिंहपुरा, भांकरोटा जयपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य-पी.पी. के माध्यम से।
2. विकास बोदानी पुत्र मोतीलाल, निवासी विला नंबर 82, रॉयल सेलिब्रिटी जयसिंहपुरा, भांकरोटा, जयपुर राजस्थान।
3. कविता बोदानी पत्नी विकास बोदानी, निवासी विला नंबर 82, रॉयल सेलिब्रिटी जयसिंहपुरा, भांकरोटा, जयपुर राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	याचिकाकर्ता, स्वयं
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री अतुल शर्मा, उप जीए

माननीय न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

आदेश

01/03/2023

1. याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना और साथ ही राज्य के विद्वान लोक अभियोजक को भी सुना।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में यह प्रश्न किया गया है कि क्या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI के तहत लोक अदालतों के पास न्यायिक शक्ति है या केवल पार्टियों की सहमति पर पंचाट पारित करना आवश्यक है।

3. आक्षेपित आदेश दिनांक 14.05.2022 द्वारा, लोक अदालत, जयपुर की एक खंडपीठ ने सहायक लोक अभियोजक को आपराधिक मामला संख्या 13/2019 के अनुरूप एफआईआर संख्या 537/2018 से उत्पन्न आपराधिक अभियोजन को वापस लेने की

अनुमति दी है और आरोपमुक्त कर दिया है। आरोपी को आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत अपराध से मुक्त किया गया।

4. आक्षेपित आदेश इस प्रकार है:-

> सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 10 जयपुर महानगर द्वितीय में लंबित पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.16(01)ल.प्र./ विविध/गृह-10/2020 दिनांक 12. 05.2022 की पालना में प्रकरण को वापस किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण वापस किये जाने की अनुमति दी जाकर अभियुक्तगण विकास पुत्र श्री मोतीलाल व कविता पत्नी विकास को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 34 **IPC** के अपराध से उन्मोचित/दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

5. याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 323, 341 और 34 के तहत अपराध के लिए पुलिस स्टेशन भांकरोटा, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज एफआईआर संख्या 537/2018 का सूचक है। एफआईआर में दो पड़ोसियों के बीच विवाद का खुलासा हुआ है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 341 और 323 के तहत अपराध के लिए आरोप-पत्र दायर किया।

6. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि लोक अदालत को आपराधिक मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके अलावा, विवादित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि लोक अदालत केवल पक्षों के बीच समझौते पर ही मामलों का निपटारा कर सकती है।

7. विद्वान राज्य अधिवक्ता का तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत, विद्वान लोक अभियोजक विशेष रूप से कथित अपराधों की तुच्छ प्रकृति पर विचार करते हुए आपराधिक मुकदमा वापस लेने में सक्षम है, जो समझौता योग्य और जमानती है।

8. अभियोजन वापस लेने के लिए सहायक लोक अभियोजक की प्रार्थना कथित तौर पर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत थी, जो इस प्रकार है:-

> "321. **अभियोजन वापस लेना-** किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व

किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणत: या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। **(बल मेरा है)**

9. जाहिर है, अभियोजन वापस लेना लोक अभियोजक द्वारा शक्ति का एकतरफा प्रयोग नहीं है, बल्कि यह न्यायालय की सहमति के अधीन है, इसलिए अभियोजन की ऐसी प्रार्थना अनुमति देने योग्य है या नहीं, इस पर विचार और निर्णय करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या लोक अदालतें भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI के तहत समान शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं।

10. अध्याय VI के तहत धारा 19 और धारा 20 विचार के लिए प्रासंगिक हैं जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"[19. लोक अदालतों का आयोजन—

(1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो वह ठीक समझे, लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी।

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने—

(क) सेवारत या सेवानिववृत्त न्यायिक अधिकारियों; और

(ख) अन्य व्यक्तियों,

से मिलकर बनेगी, जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाले, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधरा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श, विहित की जाएं।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोका अदालतों के लिए उपधरा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

(5) लोक अदालत को निम्नलिखित के संबंध में किसी विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता या समझौता करने का अवधारण करने और उस पर पहुंचने की अधिकारिता होगी:-

(i) इसके समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत; या

(ii) कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है, जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है:

परन्तुक लोक अदालत की किसी विधि के अधीन शमनीय न होने वाले किसी अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी।

"[20. लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान-

(1) जहां धारा 19 की उपधरा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में, उस मामले को समाधान के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए-

(i) (क) उसके पक्षकार सहमत है; या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथमदृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे समाधान की संभावनाएं हैं; या

(ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए समुचित मामला है, वहां न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा, परन्तु ऐसे न्यायालय द्वारा खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के अधीन **कोई मामला लोक अदालत को पक्षकारों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। (बल मेरा है)**

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकारी या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए पक्षकारों में से किसी एक से आवेदन प्राप्त होने पर कि ऐसा विषय लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, परंतु कोई भी मामला लोक अदालत को निर्देशित नहीं किया जाएगा, **सिवाय इसके कि दूसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ही कोई मामला लोक अदालत को निर्देशित नहीं किया जाएगा। (बल मेरा है)**

(3) जहां किसी मामले को उप-धारा (1) के तहत लोक अदालत को संदर्भित किया जाता है या जहां उप-धारा (2) के तहत इसे संदर्भित किया गया है, लोक अदालत (6 में से 5) [CRLW365/2023] मामले या मामले का निपटान करेगी और पार्टियों के बीच समझौता या समझौता करेगी। (जोर मेरा है)

(4) प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी संदर्भ का अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने के लिए अत्यंत शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, समानता, निष्पक्षता और अन्य विधिक सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होगी। **(बल मेरा है)**

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा

सकता है, वहां मामले का रिकॉर्ड उसके द्वारा उस न्यायालय को लौटा दिया जाएगा, जिससे उपधारा (1) के तहत कानून के अनुसार निपटान के लिए संदर्भ प्राप्त हुआ है।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मामले में, वह लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपाय प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7) जहां मामले का रिकॉर्ड उपधारा (5) के तहत अदालत को लौटा दिया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले को उस चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा जो उपधारा (1) के तहत इस तरह के संदर्भ से पहले पहुंचा गया था। "

11. उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला (जैसा कि वर्तमान मामले में है) लोक अदालत को भेजा जाता है, तो उसके पक्षों को संदर्भ के लिए सहमत होना होगा। यदि कोई एक पक्ष ऐसे संदर्भ के लिए न्यायालय में आवेदन करता है, तो दूसरे पक्ष को न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहले से सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए कि मामला लोक अदालत में भेजे जाने के लिए उपयुक्त है।

12. ऊपर उल्लिखित धारा 20 की उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के साथ-साथ उपधारा (6) के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि लोक अदालत को यह प्रयास करना होगा कि पार्टियां समझौते पर पहुंचे। केवल पक्षों के बीच समझौता होने पर ही पंचाट दिया जा सकता है और यदि पक्ष समझौता या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो लोक अदालत धारा 20 की उप-धारा (6) के तहत मामले को अदालत के समक्ष वापस भेजने के लिए बाध्य है।

13. अध्याय VI (उपरोक्त) के तहत पूरी योजना के साथ-साथ पूर्वोक्त संदर्भित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि लोक अदालतों के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है और लोक अदालत ने अभियोजन वापस लेने के लिए विद्वान लोक अभियोजक की प्रार्थना की अनुमति देकर, न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जो इसमें निहित नहीं है।

14. परिणामस्वरूप, लोक अदालत द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है और इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है।

15. आपराधिक मामले को सक्षम न्यायालय के समक्ष बहाल किया जाए और पक्षकार कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

16. इस आदेश की एक प्रति सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को भी आवश्यकतानुसार तामील कराई जाए।

(बीरेंद्र कुमार), न्यायमूर्ति

Ashwani/-68

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।